

©

FORM NO. III

2022/138

फर्द अहकाम

(नियम 26)
उपखण्ड अधिकारी

अज अदालत

बडीसादडी जि. सुनीहर

रतन डेकी

वनाम

रजकर लाल

किस्म मुकदमा

128 R.L. Act

99/2022

सुनु

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही पर इतिहासत्मक ज्ञान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/5/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... केवलपुरा..... ग्राम..... केवलपुरा..... की आ.न. 02 रकबा 4.3500 हे की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 3500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	5/89

